


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.19(34)शिक्षा-2/2019 दिनांक: 16.02.2022 की पालना में राजस्थान राज्य भारत स्काउट आवासीय विद्यालय, जगतपुरा-जयपुर में साक्षात्कार द्वारा चयनित निम्नांकित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए राजस्थान राज्य भारत स्काउट आवासीय विद्यालय, जगतपुरा-जयपुर में किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	कार्मिक का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	पे-लेवल
1	सुश्री रीना	व.अ. ग्रेड-2 (गणित)	राउमावि जाड़न, मारवाड़ जंक्शन, पाली	एल-11
2	श्री राजेन्द्र कुमार	शा.शि.-III	राउप्रावि रहसैना, राजाखेड़ा, धौलपुर	एल-10

संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिक को प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।



52  
(काना राम)  
आई.ए.एस.  
निदेशक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/सामान्य प्रतिनियुक्ति/2019/वो-2/161 दिनांक 16/02/2022  
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. राज्य सचिव राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), पाली/भरतपुर संभाग।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, पाली/धौलपुर।
5. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर